न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 99/2025

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र रामशरण खंगार निवासी चारभुजा मन्दिर के पास निवाई जिला टोंक --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **16.12.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1 जिलाधीश कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र कमांक सरथां. 56/मुक्त/72/RA/3770 दिनांक 27.9.1972 एवं कार्यालय तहसील निवाई में RRN- 3675 दिनांक 3.10.1972 की प्रमाणित प्रति चाहने।

2 जिलाधीश कार्यालय द्वारा भेजे गये पत्र उप शासन सचिव राजस्थान सरकार संलग्न पत्रावली संख्या 52/72 तहसील उनवानी प्रार्थना पत्र सनातन धर्म महाविधालय निवाई चाहने भूमि वास्ते खेल मैदान हेतु ख.स. 1888, 1889 में से की प्रमाणित प्रति चाहने।

3 हल्का करबा निवाई संख्या 13 इन्सपेक्टर सर्किल नं.2 तहसील निवाई जिला टोंक घटना का विवरण खेल मैदान हेतु कब्जा भूमि मौके पर नापकर दिया गया सुपुर्दगीनामा लिखवाकर लिया गया की प्रमाणित प्रति चाहने।

4 जिलीधीश कार्यालय टोंक द्वारा तहसीलदार कार्यालय निवाई को भेजे गये पत्र कमांक 1619 दिनांक 13.09.1972 एवं तहसीलदार कार्यालय निवाई में रिसिप्ट नं. 1191 दिनांक 17.09.1972 की प्रमणित प्रति चाहने।

5 खसरा परिवर्तन निर्धारण तहसील निवाई 1889 तहसील द्वारा भू अभिलेख निवाई प्रपत्र की प्रमाणित प्रति चाहने।

6 पटवारी करबा निवाई द्वारा मौका वस्तु स्थिति रिपोर्ट पत्रावली संख्या 52/1972 दिनांक 18.9.1972 में संलग्न प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति चाहने।

7 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका निवाई को जारी पत्र कमांक 3051 दिनांक 24.09.07 की प्रमाणित प्रति चाहने।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 2078 दिनांक 30.10.2025, 2181 दिनांक 14.11.2025 व 2306 दिनांक 27.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई ने पत्र कमांक 17844 दिनांक 08.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 5 कि सूचनां

767

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलाण्ट को जरिये डाक प्रेषित की गई है। शेष बिन्दुओं से संबंधित पत्रादि रिकार्ड रूम में उपलब्ध नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई द्वारा बिन्दू संख्या 5 कि सूचना अपीलाण्ट को किस पत्र कमांक व दिनांक से दी गई है का उल्लेख अपने जवाब में नही किया है तथा शेष बिन्दूओं के संबंध में कि गई कार्यवाही के संबंध में भी अपीलाण्ट को सूचित नही किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार निवाई द्वारा अपीलाण्ट को चाही गई सूचना के सबंध में सूचित नही किया गया है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निशुल्कःउपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)